14.06.05

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Rs 20000 रु

02CC 893494

॥ श्री ॥

लिखतम विक्रय पत्र कीमती 20,92,000/- शब्दों में बीस लाख बानवे हजार रूपये

भारतीय मुद्रांक शुल्क	:	1,67,360.00	रूपये
नगर निगम शुल्क	:	20,920.00	रूपये
जनपद पंचायत शुल्क	:	20,920.00	रूपये
उपकर	:	8,368.00	रूपये
अतिरिक्त शुल्क	:	2.00	रूपये
कुल योग	:	**2,17,570.00**	**रूपये**

क्रेता समिति कामदगिरि शिक्षा एवं सामाजिक संस्थान 15/282-ए, चेतना बिल्डिंग, सिविल लाईन, कानपुर है जो कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1860 (क्रमांक 127 सन् 2003) की धारा -21 के अन्तर्गत विधिवत् पंजीकृत होकर प्राथमिक समिति है । जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर./कानपुर /127 दिनांक 13.04.2003 है ।

यहकि, विक्रय की जा रही भूमि जो कि विक्रेतागण की अचल सम्पत्ति का एक खाता भूमि स्वामी स्थित ग्राम केदारपुर पटवारी हल्का नम्बर 43 राजस्व निरीक्षक मण्डल -2 ग्वालियर तहसील व जिला ग्वालियर में स्थित है ।

यहकि, विक्रय की जा रही भूमि भू दान को शासकीय पट्टे आदि की नहीं है । सम्पत्ति के बावत् किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है और न ही वर्तमान में किसी भी न्यायालय में उक्त विक्रीत भूमि से संबंधित कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा विक्रीत भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । जिसका भू-अधिकार ऋण पुस्तिका क्रमांक 020752 है तथा उक्त सम्पत्ति नगर निगम सीमा के अन्दर है । जो कि क्रेता समिति उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी समिति है तथा उक्त भूमि को सोसायटी शैक्षणिक संस्थान खोलने हेतु क्रय कर रही है ।

क्रमशः...........2

क्रमांक 9291 दिनांक 24/12/03

मूल्य 20,000/-

मद व्यवहार का प्रकार ~~9,20,000/-~~ बयनामा

भीकम सिंह S/o श्री हरप्रसाद आदि

नि० केदारपुर

लिये गये :- कामदागार शिक्षा एवं सामाजिक [illegible] द्वारा उपाध्यक्ष कौशनाथ सिंह सिकरवार S/o श्री [illegible] नि० माधव नगर ग्वा०

Assit. [illegible] Officer

Di[illegible] Treasury

Gwalior (M.P.)

17 DEC 2003

हस्ते [illegible]

राघवेन्द्र सिंह राठौर

[illegible]

स्टाम्प वेण्डर, ग्वालियर

[illegible]	167360/-
[illegible] / [illegible]	20920/-
[illegible]	20920/-
[illegible]	8368/-
[illegible]	8/-
	217576=00

माकिमसिंह हरप्रसाद

[illegible]

30.12.03

[illegible] 12-3[illegible]

नीलमा[illegible]

1629   1406 रु

रसीद दस्तावेज ग्रहण   24

दफ्तर .... मुकाम ....

किस को दी गई	दस्तावेज की तफसील तारीख व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्रार के मोहदेदार के छोटे दस्तखत
1	2	3	4
	भीकमसिंह बिक्री 2092000/-	16911-00 30.12.03	

तारीख 24.12.03.   उप-पंजीयक

Rs 20000 रु

02CC 893493

विक्रेतागण : 1. भीकम सिंह पुत्र श्री हर प्रसाद आयु 50 वर्ष जाति गुर्जर

2. मुन्नी बाई पुत्री श्री हर प्रसाद पत्नी जगदीश सिंह गुर्जर आयु 45 वर्ष जाति गुर्जर

निवासीगण– ग्राम केदारपुर, लश्कर ग्वालियर

क्रेता : कामदगिरि शिक्षा एवं सामाजिक संस्थान 15/282–ए, चेतना बिल्डिंग सिविल लाईन्स, कानपुर द्वारा उपाध्यक्ष श्री बैजनाथ सिंह सिकरवार पुत्र श्री एम.एस. सिकरवार निवासी— एम.आई.जी. 168, माधवनगर, झांसी रोड़ लश्कर ग्वालियर

जो कि हम विक्रेतागण के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम केदारपुर नगर लश्कर परगना व जिला ग्वालियर में है । जिसका वार्ड क्रमांक 30 है । जो शासकीय कागजातों में हम विक्रेतागण के नाम दर्ज है और कागजात सरकारी में हमारे नाम वर्तमान में बहैसियत भूमि स्वामी दर्ज है । जो हमारे स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर इस समय तक हर प्रकार के ऋण भार झगड़ों से पाक व साफ है तथा उक्त विक्रीत भूमि को हर प्रकार से हस्तांतरित करने का हम विक्रेतागणों को पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है । उक्त सम्पत्ति में हम विक्रेतागणों के अलावा अन्य कोई हिस्सेदार एवं भागीदार नहीं है एवं जो कहीं भी रहन, वय, दान, न होकर हर प्रकार के ऋण भार आदि से साफ है । यहकि, उक्त भूमि को विक्रय करने में हम विक्रेतागणों के वारिसानों को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। यदि भविष्य में उक्त विक्रीत कृषि भूमि से संबंधित विवाद हम विक्रेतागणों के वारिसानों द्वारा उठाया जाता है तो उसकी समस्त जबावदारी हम विक्रेतागणों पर होगी । यहकि, हम विक्रेतागण को अपने घरू खर्चे के लिये धन की आवश्यकता होने से उक्त कृषि भूमि को क्रेता समिति कामदगिरि शिक्षा एवं सामाजिक संस्थान 15/282–ए, चेतना बिल्डिंग, सिविल लाईन्स कानपुर को विक्रय करना स्वीकार है तथा विक्रीत भूमि जो नगर निगम ग्वालियर की सीमा के अन्दर होकर ब्लॉक जनपद पंचायत की सीमा के बाहर है ।

क्रमशः...........3

भीकमसिंह   निशान अंगूठा   श्रीमती मुन्नी बाई   Baijnath Singh

क्रमांक 9292 दिनांक 24/12/03

मुद्रा 2000/-

मद व्यवहार का प्रकार ...

Asstt. Treasury Officer
District Treasury
Gwalior (M.P.)
17 DEC 2003

अनुक्रमांक 9291 ...के साथ संलग्न

राघवेन्द्र सिंह राठौर
स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्रेट कार्यालय, ग्वालियर

विक्रेता – [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

20,92,000/– [illegible]

(1) [illegible]

(2) [illegible]

[illegible] को दिया. 30.12.03

[illegible]

02CC 893492

॥ 3 ॥

यहकि, विक्रीत सम्पत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

सर्वे नम्बर	रकवा	लगान
132	1.149 हैक्टर	मु.रे.
133	0.175 हैक्टर	–"–
134	0.163 हैक्टर	–"–
135	0.382 हैक्टर	–"–
136	1.588 हैक्टर	–"–

कुल किता 5 कुल रकवा 3.457 हैक्टर

यानी कि सम्पूर्ण रकवा विक्रय किया जा रहा है ।

यहकि, हम विक्रेतागण ने उपरोक्त भूमि कुल स्वत्वों के प्रतिफल 20,92,000/– शब्दों में बीस लाख बानवे हजार रूपये में वहक्क क्रेता समिति कामदगिरि शिक्षा एवं सामाजिक संस्थान कानपुर द्वारा उपाध्यक्ष बैजनाथ सिंह सिकरवार पुत्र श्री एम.एस. सिकरवार को कतई विक्री कर दी है । यानी कि 15 वीघा 7 विस्वा कृषि आराजी भूमि विक्रय कर दी है । विक्रय प्रतिफल की धनराशि 20,92,000/– शब्दों में बीस लाख बानवे हजार रूपये नगद जिसे मैंने घर पर समक्ष गवाहों के पूर्व में क्रेता समिति से प्राप्त कर लिये हैं अब भविष्य में उक्त भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार की धनराशि लेना शेष नहीं रहा है तथा विक्रीत भूमि का रिक्त आधिपत्य मौके पर क्रेता समिति के उपाध्यक्ष को सौंप दिया है । विक्रीत भूमि सामाजिक शिक्षा संस्थान खोलने हेतु क्रेता समिति क्रय कर रही हैं ।

क्रमशः............4

क्रमांक 9293 दिनांक 26.12.03

मुद्रा 20000/-

मद व्यवहार का ......

A... Officer
District Treasury
Gwalior (M.P.)
17 DEC 2003

अनुक्रमांक 9291 के साथ संलग्न

नीकमसिंह

राजेन्द्र सिंह राठौर
स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्रेट कार्यालय, ग्वालियर

नीकम सिंह

30.12.03

K Singh
3/1/04

कुलदीप

30.12.03

Baijnath Singh

बैजनाथ सिंह

30.12.03

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

02CC 893491

यहकि, विक्रेता द्वारा या उसके किसी भी वारिसान द्वारा कम विक्रीधन पाने बावत् या बिल्कुल न पाने बावत् कोई भी आपत्ति उठाई जाती है तो वह इस लिखतम विक्रय पत्र के समक्ष मिथ्या व अमान्य होगी ।

यहकि, विक्रीत सम्पत्ति कृषि भूमि खाली पर किसी भी प्रकार का कोई लगान कर, बिजली का बिल, किसी भी बैंक का ऋण, आदि शेष नहीं है और न ही उपरोक्त सम्पत्ति किसी बैंक, संस्था, फायनेंस कम्पनी, शासकीय कार्यालय, अशासकीय कार्यालय निगम, निकाय, व्यक्ति आदि के पास बंधक गिरवी जमानत आदि में नहीं है तथा होने की दशा में विक्रेतागणों की पूर्ण जबावदारी होगी ।

यहकि, कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत कृषि भूमि खाली पर आज से क्रेता का करा दिया है अब क्रेता स्वयं कास्त करें, पट्टे पर दे, रहन, वय, दान, हिवा आदि करें, गर्ज की आज दिनांक तक जो अधिकार उक्त कृषि भूमि पर विक्रेतागणों को प्राप्त थे वे आज दिनांक से क्रेता को प्राप्त हो गये हैं । अब क्रेता कागजात सरकारी में जहां जहां आवश्यकता हो अपने नाम का इन्द्राज करावें, और भविष्य में लगने वाला लगान, टैक्स, अदा करें,

क्रमशः...........5

क्रमांक 9294 दिनांक 24/12/03
मूल्य 20,000/-
स्टाम्प विक्रेता के हस्ताक्षर

A.T.O. Treasury Officer
District Treasury
Gwalior (M.P.)
17 DEC 2003

अनुक्रमांक 9294 के साथ संलग्न

Gwalior

राघवेन्द्र सिंह राठौर
स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्रेट कार्यालय, ग्वालियर

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

यहकि, काश किसी नुक्स हक मिल्कियत की बजह से कुल या उसका जुज सम्पत्ति कब्जे क्रेता से निकल जावे या क्रेता को कोई ऋण आदि चुकाना पड़े तो उसकी कुल या जुज जबावदारी विक्रेतागणों पर होगी और क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल या जुज विक्रीधन मय ब्याज व्यय व हर्जा व खर्चा विक्रेतागणों से जिस प्रकार भी चाहे वसूल कर ले । जिसमें हम विक्रेतागणों को एवं हमारे वारिसानों को कोई आपत्तित्त नहीं होगी ।

यहकि, विक्रीत भूमि को आज की दिनांक में जिस स्थिति में है, क्रेता समिति को उसी प्रकार से हस्तांतरित की जा रही है, विक्रय हस्तांतरण के पश्चात् क्रेता समिति को यह अधिकार होगा कि वह उसका विधिवत् डायवर्सन आदि कराकर जिस प्रकार भी चाहें भूमि पर विकास कार्य करावें, विकास कार्य डायवर्सन कराना, लेआउट पास कराना, नगर निगम एवं नजूल से स्वीकृत प्राप्त करना तथा टाउन कन्ट्री प्लान, ग्वालियर से लेआउट पास कराना आदि की समस्त जिम्मेदारी क्रेता समिति स्वयं के व्यय उत्तरदायित्वों पर करा सकेगी, जिसमें हम विक्रेतागण को उक्त किसी कार्य में से कोई वास्ता नहीं रहेगा । आज तक का जो भी भू–राजस्व उक्त भूमि पर बकाया था, वह हमारे द्वारा अदा किया जा चुका है, फिर भी भविष्य में यदि किसी प्रकार का कोई देय, उक्त भूमि पर निकलता है तो उसके भुगतान आदि की जबावदारी क्रेता समिति पर होगी तथा हस्तांतरण के पश्चात् से हमें एवं हमारे वारिसानों का उक्त भूमि से भविष्य में कोई वास्ता नहीं रहेगा ।

क्रमशः............6

क्रमांक 9295 दिनांक 26/12/03
मुल्य 50000/-
मद व्यवहार का प्रकार [illegible]

Gwalior (M.P.)
17 DEC

अनुक्रमांक 9291 के साथ संलग्न

Gwalior

राघवेन्द्र सिंह राठौर
[illegible] II
कलेक्ट्रेट कार्यालय, ग्वालियर

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

अतः यह लिखतम विक्रय पत्र हम विक्रेतागण ने अपने पूर्ण होश हवास स्वेच्छा से स्वस्थ्य चित्त अवस्था में पढ़कर, सुनकर व समझकर बिना किसी दबाव के होश हवास में समक्ष गवाहान सम्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवें । इतिदिनांक : 24.12.2003

इस लिखतम का प्रारूप अभिभाषक सुभाष चतुर्वेदी द्वारा तैयार किया गया है ।

हस्ताक्षर क्रेता समिति

द्वारा उपाध्यक्ष

हस्ताक्षर विक्रेतागण

हस्ताक्षर गवाहान :-

1. कुबेर सिंह भदौरिया S/o श्री कैलाश सिंह जी नि० न्यू कालोनी नं. 3 B बिरला नगर ग्वा०

2. जगदीश सिंह S/o श्री नाथू सिंह नि० ग्राम [illegible] ग्वा०

क्रमांक 9296 दिनांक 24/12/03

मुल्य 5000/-

मद व्यवहार का प्रकार स्वयं/ठाकुर

Asst. ... Officer
District Treasury
Gwalior (M.P.)
17 DEC 2003

अनुज्ञप्ति 9291 ... के ... तहसील

राघवेन्द्र सिंह राठौर
स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्रेट कार्यालय, ग्वालियर

30.12.03

A1

14681 6 1406.00

834988

16881=00

30=00

16911=00

उप पंजीयक की मुद्रा
Seal of Sub Registrar
Gwalior (M.P.)